

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वोदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- ईसरग

प्रकरण संख्या:- 317/25

दिनांक:- 2/10/25

उनवान

श्री फूलाडेवी पालि  
रामदयाल

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हत्का ईसरग भू. अ. नि. 317/25 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ईसरग पं० ह० ईसरग की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 383, 384, 385 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	नाम कोहरीमल	383 [ फूलाडेवी पालि रामदयाल हि. 1/2 ]	फूलाडेवी पालि रामदयाल हि. 1/2
		384 [ फूलाडेवी पालि रामदयाल हि. 1/2 ]	फूलाडेवी पालि रामदयाल हि. 1/2
		385 [ फूलाडेवी पालि रामदयाल हि. 1/2 ]	फूलाडेवी पालि रामदयाल हि. 1/2

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री फूलाडेवी पालि रामदयाल शहर
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

